कार्यालय जिलाधिकारी उन्नाव।

संख्या–1173 /जिला0पत्रा0/2013–14 दिनॉक 02 फरवरी, 2014

कार्यालय–ज्ञाप

जनपद में आहूत विभिन्न बैठकों के कार्यवृत्त सम्बंधित सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत किये जाते हैं तथा विभिन्न कार्यालयों, संस्थाओं तथा ग्रामों आदि का निरीक्षण सम्बंधित अधिकारियों द्वारा करके निरीक्षण टिप्पणी जारी की जाती हैं जिनकी अनुपालन आख्या प्रेषित कर अवलोकित करायी जाती हैं। प्रायः नागरिकों द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम– 2005 की धारा 4 (1) के अंतर्गत विभिन्न सूचनाओं की मॉग की जाती है। अतः उक्त सूचनायें जनपद की वेब–साइट पर उपलब्ध रहने से यह सूचनायें सभी नागरिकों को आसानी से सुलभ हो जायेंगी।

अतः एतद्द्वारा सभी सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा किये जा रहे निरीक्षण की निरीक्षण–टिप्पणी, उनकी अनुपालन आख्या तथा बैठकों के कार्यवृत्त मेरे अवलोकन/ अनुमोदन के उपरान्त तीन दिन के अन्दर जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जिला सूचना केन्द्र, उन्नाव को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी प्राप्त निरीक्षण टिप्पणी/ अनुपालन आख्या/ कार्यवृत्त को अविलम्ब जनपद की वेब–साइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि यह सूचनायें सर्व–साधारण को सुलभ हो सकें। यह व्यवस्था माह फरवरी 2014 (में किये जा रहे निरीक्षण–टिप्पणियों/ बैठकों के कार्यवृत्त) से लागू होगी।

जनपद स्तरीय सभी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने विभाग से सम्बंधित निरीक्षण टिप्पणियॉं, अनुपालन आख्यायें तथा बैठकों के कार्यवृत्त उक्तानुसार जनपद की वेब–साइट पर पूर्ण पारदर्शिता के साथ अपलोड करायेंगे।

(विजय किरन आनन्द)
जिलाधिकारी, उन्नाव।

प्रतिलिपि निम्नॉकित को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त जिला स्तरीय अधिकारी जनपद उन्नाव।
2– श्री शरद निगम, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जिला सूचना केन्द्र, उन्नाव।
3– जिला सूचना अधिकारी उन्नाव को दैनिक समाचारपत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(विजय किरन आनन्द)
जिलाधिकारी, उन्नाव।